

समक्ष  
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

गणपूर्ति

श्री जगमोहन लाल अध्यक्ष

आदेश दिनांक : 29.11.2011

आदेश

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 तथा इस निमित्त समर्थकारी प्राविधानों के अधीन 30.04.2012 तक के लिए विस्तारित करता है, यदि आयोग द्वारा इनका पहले पुनरावलोकन या विस्तार नहीं किया जाता:

क्र०सं०	विनियम का नाम
1.	उविनिआ (जल विद्युत उत्पादन की दर के अवधारण हेतु निबन्धन एवं शर्तों) विनियम, 2004
2.	उविनिआ (वितरण दर अवधारण हेतु निबन्धन एवं शर्तों) विनियम, 2004
3.	उविनिआ (पारेषण दर के निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तों) विनियम, 2004

ह०/—  
(जगमोहन लाल)  
अध्यक्ष